मनोरंजन कर विभाग

3-The Procedure followed in the Decision-Making Process, including Channels of Supervision and Accountability

शासन स्तर पर मनोरंजन कर विभाग 'कर एवं निबन्धन विभाग' द्वारा नियंत्रित होता है। इस विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त, मनोरंजन कर हैं। नियमों /अधिनियमों एवं शासन/मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु विभाग में मनोरंजन कर आयुक्त के अधीन अपर मनोंरंजन कर आयुक्त/उप मनोरंजन कर आयुक्त/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी/निरीक्षक एवं अन्य कार्यालय कर्मचारियों द्वारा समस्त विभागीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाता है तथा किये गयो कार्यों की समीक्षा जनपद में जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रदेश स्तर पर मनोरंजन कर आयुक्त द्वारा की जाती है। जनपद स्तर पर मनोरंजन कर विभाग सीधे जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रणाधीन कार्य सम्पन्न करता है।

आमोदों को लाइसेंस/अनुमति स्वीकृत अथवा निलम्बित/निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्णय जनपद में जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रदेश स्तर पर मनोरंजन कर आयुक्त में निहित है। स्थापना सम्बंधी एवं विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार मनोरंजन कर आयुक्त अर्थात विभागाध्यक्ष में निहित है। उल्लेखनीय है कि विभाग के निरीक्षण अधिकारियों में आधारभूत पद मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड–2 का है जिसका चयन लोक सेवा आयाग उ0प्र0 के माध्यम से होता है तथा मनोरंजन कर निरीक्षक के नियुक्ति प्राधिकारी मनोरंजन कर आयुक्त हैं।

विभाग द्वारा विभिन्न आमोदों जैसे स्थायी /अस्थायी सिनेमागृहों के निर्माण को अनुमति देकर लाइसेंस प्रदान करना, केबिल टी.वी. नेटवर्क के संचालन की अनुमति देना एवं मनोरंजन कर का उदग्रहण किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य आमोदों को विनियमित कर निर्धारित मनोरंजन कर का उदग्रहण करना सम्मिलित है। इस प्रक्रिया में किसी आमोद का संचालक जिला मनोरंजन कर कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। इसपर जिला मनोरंजन कर अधिकारी नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत अनुमति हेतु जिला मजिस्ट्रेट को संस्तुति करता है। इसपर जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होता है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी व्यक्ति/उद्यमी द्वारा किसी सिनेमागृह का निर्माण कर उसे संचालित करना है तो उसके लिये निम्नवत प्रक्रिया अपनानी होगी–

स्थायी सिनेमा निर्माण की प्रक्रिया–सिनेमागृह निर्माण के इच्छुक व्यक्ति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को इस निमित्त प्रार्थना पत्र साइट प्लान के साथ प्रस्तुत करने पर इस हेतु निरीक्षण के लिये नियत शुल्क जमा कराया जाता है। इस सम्बंध में साइट प्लान का भौतिक सत्यापन स्थल निरीक्षण करके विभागीय अधिकारी द्वारा उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1955 की धारा–7 एवं उ0प्र. चलचित्र नियमावली, 1951 के नियम–7 के अंतर्गत परीक्षण किया जाता है। साइट नियमानुकूल पाये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा साइट का

अनुमोदन करते हुये भवन के निर्माण सम्बंधी विस्तृत नक्शे उ0प्र0 आमोद एवं पणकर नियमावली, 1951 के नियमों के अंतर्गत तकनीकी दृष्टि से अनुकूल होने के सम्बंध में मानचित्रों का परीक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता को भेजकर व स्थानीय निकाय/सम्बंधित विकास प्राधिकरण से सम्बंधित प्राविधानों के अंतर्गत अनुमोदन कराया जाता है। उक्त के अनुमोदन के बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उ0प्र0 चलचित्र नियमावली,1951 के नियम 3(3) के अंतर्गत निर्माण हेतु अनुमति प्रदान करते हुये मानचित्रों का भी अनुमोदन कर दिया जाता है। सिनेमा स्वामी प्रथम बार ही आवेदन पत्र के साथ सिनेमा के साइट प्लान के साथ साथ मानचित्र प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है जिससे कार्यवाही में कम समय लगता है। सिनेमा भवन तैयार हो जाने के बाद पुनः उसकी विभागीय अधिकारी/लोक निर्माण विभाग के अधिषाशी अभियंता द्वारा जॉच की जाती है कि भवन अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार ही बनाया गया है अथवा नहीं तथा जन सुरक्षा की दृश्टि से उपयुक्त है अथवा नहीं। इस सम्बंध में सम्बंधित आर्किटेक्ट से भवन निर्माण के सम्बंध में स्थायित्व प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। यह सुनिश्चित हो जाने के उपरांत कि भवन नियमानुसार तैयार हो गया है ,तब जन सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत सुरक्षा विभाग, स्वास्थ विभाग तथा अग्नि ामन विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाते हैं। तदोपरांत छविगृह को निर्धारित फीस जमा करने के उपरांत लाइसेंस जारी किया जाता है ,जो अधिकतम तीन वर्षो के लिये एक बार में जारी किया जा सकता है।

विभिन्न जनपदों में आवंटित क्षेत्रों में संचालित आमोदों पर अधीक्षण का कार्य मूलतः मनोरंजन कर निरीक्षक का होता है। मनोरंजन कर निरीक्षकों के कार्यों का अधीक्षण सम्बंधित जनपद में नियुक्त विभागीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। अंतिम रूप से जनपद में अधीक्षण का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट में निहित होता है। इसी क्रम में उक्त अधिकारियेां का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त मनोरंजन कर आयुक्त अपने विवेक से विभागीय अधिकारियेां द्वारा प्रदेश में आकस्मिक रूप से अधीक्षण कार्य करवाते रहते हैं। विभागीय अधिकारी/निरीक्षकों के अधीक्षण कार्य में यदि मनोरंजन कर आयुक्त कोई अनियमितता पाते हैं तो उत्तरदायित्व तय करते हुये सम्बंधित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाती है। अंतिम रूप से विभाग के सभी क्रिया कलापों का उत्तरदायित्व मनोरंजन कर आयुक्त का है।